

-//1//-

आपराधिक प्रकरण क.-947/11

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्रकरण क.-947/11

संस्थित दिनांक-07/12/2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

अभियोगी

विरुद्ध

तिरेन्द्र कुमार राणा पिता गेन्दलाल राणा, उम्र 28 साल,

निवासी ग्राम अरंडिया थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक-20/02/2015 को घोषित)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338, 304-ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-11.09.2011 को शाम के 07:00 बजे परसवाड़ा लामता रोड पर थानान्तर्गत परसवाड़ा में लोकमार्ग पर वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अमर नैनवानी को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा मनोज मोदी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2011 को अस्पताल पुलिस चौकी बालाघाट जिला चिकित्सालय से मार्ग 0/11 धारा 174 जा.फौ. की डायरी थाना परसवाड़ा में प्राप्त होने पर असल मार्ग क्रमांक 19/11 धारा 174 जा.

फौ. की कायमी रामलाल नेताम द्वारा की गई। ए.एस.आई पटेल द्वारा मर्ग पंचान के गवाह विनोद कुमार मोदी के कथन लिये गये तो बताया गया कि अमर नैनवानी के साथ मृतक मनोज मोदी परसवाड़ा मोटरसायकिल से जा रहा था एवं एक्सीडेंट में मनोज मोदी की मृत्यु होना अमर नैनवानी की चोटो का ईलाज अस्पताल में भर्ती करना बताया। अमर नैनवानी के कथन लिए गये कथन पर सूमों वाहन क्रमांक एम.पी.50-डी. 0343 के चालक द्वारा घटना घटित करना बताये जाने पर अपराध क्रमांक 46/11 धारा 279, 337, 304-ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर सूमों वाहन क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 के चालक आरोपी तिरेंद्रर राणा को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338, 304-ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं पुलिस ने फरियादी से मिलकर बीमा राशि लेने के लिये उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक-11.09.2011 को शाम के 07:00 बजे परसवाड़ा लामता रोड पर थानान्तर्गत परसवाड़ा में लोकमार्ग पर वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम. पी.50-डी.0343 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 को

तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर अमर नैनवानी को टक्कर मारकर अस्थिरंग कर घोर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मनोज मोदी को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी जगदीश जामुलकर (अ.सा. 10) का कहना है कि दिनांक 09.11.2009 को डॉक्टर विजय गांधी द्वारा मृतक विनोद की अस्पताल तहरीर देने पर उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-04 बनाया गया था। मृत्यु के संबंध में पंचनामा तैयार किया था जो प्रदर्श पी-05 है। पी.एम फार्म भरकर शव का परीक्षण करवाने हेतु भेजा था, जो प्रदर्श पी-06 है। उसके द्वारा विनोद कुमार के कथन उसके बताये अनुसार लेख किया था।

(08) अभियोजन साक्षी जगदीश जामुलकर के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता के.एल.पटले (अ.सा. 13) का कहना है कि उसने दिनांक 27.09.2011 को अस्पताल चौकी बालाघाट से प्राप्त पंचनामा तहरीर एवं आहत अमर नैनवानी के कथन के आधार पर उसने अपराध क्रमांक 46 / 11 धारा 279, 337, 304-ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 टाटा सूमों वाहन क्रमांक एम.पी.50-डी. 0343 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-10 है। दिनांक 30.09.2011 को साक्षी बसीमखान की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा

प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। साक्षी बसीमखान, विमल कुमार, पंकज जैन, राजकुमार, फहीमखान एवं आहत अमर नैनवानी के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 30.09.2011 को पंकज जैन से गवाहों के समक्ष एक काले रंग की हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.2304 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 तैयार किया है। दिनांक 08.11.2011 को आरोपी तिरेन्द्र कुमार से गवाहों के समक्ष सफेद रंग की वाहन मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-13 बनाया था। दिनांक 25.11.2011 को आहत अमर नैनवानी से एक्सरे रिपोर्ट गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को पेश किया था।

(08) अभियोजन साक्षी डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा. 11) का कहना है कि उसने दिनांक 11.09.2011 को आहत अमर नैनवानी पिता पचानंद नैनवानी, उम्र 40 साल निवासी बालाघाट परीक्षण हेतु लाया गया था जिसे परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रारंभिक ईलाज के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया था जिसकी भर्ती पर्ची ओपनिंग टिकिट प्रदर्श पी-07 एवं भर्ती टिकिट प्रदर्श पी-08 है। उसने आहत अमर नैनवानी के परीक्षण में उसके दाहिने पैर पर घुटने के नीचे कट्टा हुआ घाव 2X2 इंच लिया हुआ। परीक्षण के दौरान अमर नैनवानी पैर में अत्याधिक दर्द होना बता रहा था। उसके द्वारा आहत को दाहिने पैर का एक्सरे कराने एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई थी। आहत को आई चोटे कड़े एवं बोथरे वस्तु द्वारा आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर ए.सहारे (अ.सा. 12) का कहना है कि उसने दिनांक 12.09.2011 को आरक्षक क्रमांक 710 अनिल अस्पताल चौकी द्वारा मृत मनोज मोदी उम्र 40 साल के शव को शव परीक्षण हेतु लाने पर उसने मृतक के शव परीक्षण में पाया कि रायगर मॉर्टिस दोनों हाथ व दोनों पैरों में मौजूद था, सीने के बांयी ओर 3X3 सेन्टीमीटर कंटूजन था, दांयी जांघ सामान्य से तीन गुना सूजी हुई थी, दांयी

टिबिया एवं फिबुला टूटी हुई व घाव के बाहर की तरफ निकली हुई थी, दाहिने घुठने के नीचे 7x3 सेन्टीमीटर लेसेरेटेड घाव था, दाहिने कुल्हे के जोड़ पर असामान्य मूमेंट व दाहिने बोन कुल्हे के जोड़ के पास से हुई एवं उसके चारों ओर बहुत सारे खून का थक्का जमा हुआ था, बांयी चौथी एवं पांचवी पसली टूटी हुई थी, बांया फेफड़ा फटा हुआ था व सीने में रक्त व खून के थक्के भरे हुये थे, दिल के चारों खाने खाली थी, खोपड़ी के अंदर खून के थक्के भरे हुए थे। मृतक की मृत्यु उसने उसके परीक्षण के 24 घण्टे के अन्दर की होना पाई थी। मृतक की मृत्यु का कारण शरीर के अंदरूनी अंगों को गहरी चोट लगने के कारण हुई थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(10) अभियोजन साक्षी अमर नैनवानी (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 11.09.2011 की है। वह बालाघाट से बैहर होते हुए परसवाड़ा लामता मोटरसायकिल से जा रहा था। मोटरसायकिल को मनोज मोदी चला रहा था। वह मोटरसायकिल के पीछे बैठा हुआ था परसवाड़ा से लामता की ओर करीब तीन किलोमीटर आगे बढ़े थे कि सामने से एक सफेद कलर की सूमों वाहन क्रमांक एम.पी. 50-डी.0343 तेजगति से आई और उन्हें टक्कर मारकर चली गई। गाड़ी को तिरेन्द्र राणा चला रहा था। आरोपी ने सूमों गाड़ी को थोड़ी दूर जाकर धीमी किया था और पीछे देख रहा था। घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों ने उसे बताया कि कन्हैया पटेल का नाती सूमों गाड़ी को चला रहा था। दुर्घटना में उसे दाहिने कंधे व पैर में चोट आयी थी और फ्रेक्चर हो गया था। मनोज मोदी को छाती व पैर में चोट लगी थी और फ्रेक्चर हो गया था। विमल जैन, पंकज जैन उन्हें एम्बुलेंस से बालाघाट अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मनोज मोदी की मृत्यु हो गई थी।

(11) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी विमल जैन (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। उसे सूचना प्राप्त हुई कि मनोज मोदी का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर वह अस्पताल परसवाड़ा गया था जहां पर मनोज मोदी गंभीर हालत में था फिर उसे पता चला कि

कुमनगांव के पास मनोज मोदी का एक्सीडेंट हुआ है। वह मनोज मोदी को ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक मनोज मोदी के साथ एक अन्य आहत को भी चोटे आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने पंकज जैन से क्षतिग्रस्त हालत में एक मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 बनाया था।

(12) अभियोजन साक्षी पंकज जैन (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढायी वर्ष पुरानी है। उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि मनोज मोदी का एक्सीडेंट हो गया है। वह मनोज मोदी को देखने शासकीय अस्पताल परसवाड़ा गया था। मनोज मोदी के साथ अमर नैनवानी को भी चोटे आई थी। ईलाज हेतु रिफ्र किए जाने पर बालाघाट ले जा रहे थे तो रास्ते में मनोज मोदी की मृत्यु हो गई थी। उसे आहत अमर नैनवानी ने चार पहिया वाहन से दुर्घटना होना बताया था। पुलिस ने उससे दुर्घटना की क्षतिग्रस्त हुई मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना के समय वाहन तिरेन्द्र राणा चला रहा था एवं अभियोजन साक्षी विनोद मोदी (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढायी वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को उसे मृतक मनोज मोदी ने फोन से सूचना दी थी कि उसका सूमों गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उसे पैर में चोट लगी है। मनोज मोदी को शासकीय अस्पताल परसवाड़ा से ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल रिफ्र किए थे कि रास्ते में मनोज मोदी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

(13) अभियोजन साक्षी ज्ञानचंद (अ.सा. 5) एवं कन्हैया (अ.सा. 6) का कहना है कि उनके समक्ष पुलिस ने अमर नैनवानी से एक्सरे रिपोर्ट जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 बनाया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं एवं अभियोजन साक्षी वसीम खान (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को मनोज मोदी की दुर्घटना होने की सूचना फोन से फहीम ने उसके

भाई को दी थी। वह आहतगण को लेने घटनास्थल कुमनगांव पर गया था। जब वह गया तो मनोज मोदी और अमर नैनवानी कुमनगांव में रोड के साईड में पेड़ के नीचे थे उनके शरीर में चोट के निशान थे फिर आहतगण को ईलाज हेतु परसवाड़ा अस्पताल लेकर आया गया। आहतगण ने उसे चार पहिया वाहन से एक्सीडेंट होना बताया था एवं अभियोजन साक्षी फहीम खान (अ.सा. 8) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन-चार वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को उसे मनोज मोदी का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वसीम खान को घटनास्थल पर लेकर गया था। घटना के समय मनोज मोदी जीवित था और उन्हें बताया कि सूमों वाहन वाले ने टक्कर मार दी है तथा अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह ग्राम अरंडिया से परसवाड़ा जा रहा था तभी कुमनगांव चौक पर एक मोटरसायकिल पर दो व्यक्ति बैठे थे जिन्हें मैक्स चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है पुलिस ने फरियादी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी पंकज जैन (अ.सा. 3), फहीम खान (अ.सा. 8), राजकुमार (अ.सा. 9) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी अमन नैनवानी (अ.सा. 1), विमल जैन (अ.सा. 2), फहीम खान (अ.सा. 8), राजकुमार (अ.सा. 9) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है एवं आरोपी ने अपने बचाव में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 11.09.2011 को ग्राम अरंडिया के शिव मन्दिर में गणेश उत्सव के हवन कार्यक्रम में मौजूद था। गणेश उत्सव दिनांक 11.09.2011 को लगभग 02:30-03:00 बजे प्रारंभ हुआ और रात्रि के 08:30 बजे तक चलता रहा। गणेश उत्सव कार्यक्रम में गणेश समिति के अध्यक्ष बुद्धनलाल पटले और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। अचानक गणेश उत्सव के 15 दिन पश्चात् पुलिस वाले आये और उसे सूचना दी कि तुम्हारे विरुद्ध दुर्घटना कारित

करने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। सूचना की जानकारी गांव के व्यक्तियों को दी और वह गांववालों के साथ दिनांक 01.10.2011 को पुलिस थाना परसवाड़ा में जाकर प्रदर्श डी-01 का आवेदन प्रस्तुत किया था एवं उक्त दिनांक को ही गांव के लोगों द्वारा पुलिस थाना परसवाड़ा में जांच करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी फोटो प्रति उसने 315 के आवेदन के साथ संलग्न की है। पुलिस वालों ने उसके विरुद्ध गलत प्रकरण तैयार कर एवं झूठी विवेचना कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है और उसके दिए गये आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में भी गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्प है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी जगदीश जामुलकर (अ.सा. 10) का कहना है कि दिनांक 09.11.2009 को डॉक्टर विजय गांधी द्वारा मृतक विनोद की अस्पताल तहरीर देने पर उसके द्वारा मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-04 बनाया गया था। मृत्यु के संबंध में पंचनामा तैयार किया था जो प्रदर्श पी-05 है। पी.एम फार्म भरकर शव का परीक्षण करवाने हेतु भेजा था, जो प्रदर्श पी-06 है।

(17) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता के.एल.पटले (अ.सा. 13) का कहना है कि उसने दिनांक 27.09.2011 को अस्पताल चौकी बालाघाट से प्राप्त पंचनामा तहरीर एवं आहत अमर नैनवानी के कथन के आधार पर उसने अपराध क्रमांक 46/11 धारा 279, 337, 304-ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 टाटा सूमों वाहन क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्रदर्श पी-10 है। दिनांक 30.09.2011 को साक्षी बसीमखान की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। साक्षी बसीमखान, विमलकुमार, पंकज जैन, राजकुमार, फहीमखान एवं आहत अमर नैनवानी के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 30.09.2011 को पंकज जैन से गवाहों के समक्ष एक काले रंग की हीरो होण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.2304

क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 तैयार किया है। दिनांक 08.11.2011 को आरोपी तिरेन्द्र कुमार से गवाहों के समक्ष सफेद रंग की वाहन मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-13 बनाया था। दिनांक 25.11.2011 को आहत अमर नैनवानी से एक्सरे रिपोर्ट गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को पेश किया था।

(18) अभियोजन साक्षी डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा. 11) का कहना है कि उसने दिनांक 11.09.2011 को आहत अमर नैनवानी पिता पचानंद नैनवानी, उम्र 40 साल निवासी बालाघाट परीक्षण हेतु लाया गया था जिसे परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रारंभिक ईलाज के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया था जिसकी भर्ती पर्ची ओपनिंग टिकिट प्रदर्श पी-07 एवं भर्ती टिकिट प्रदर्श पी-08 है। उसने आहत अमर नैनवानी के परीक्षण में उसके दाहिने पैर पर घुठने के नीचे कट्टा हुआ घाव 2X2 इंच लिया हुआ। परीक्षण के दौरान अमर नैनवानी पैर में अत्याधिक दर्द होना बता रहा था। उसके द्वारा आहत को दाहिने पैर का एक्सरे कराने एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने की सलाह दी गई थी। आहत को आई चोटे कड़े एवं बोथरे वस्तु द्वारा आना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(19) अभियोजन साक्षी डॉक्टर ए.सहारे (अ.सा. 12) का कहना है कि उसने दिनांक 12.09.2011 को आरक्षक क्रमांक 710 अनिल अस्पताल चौकी द्वारा मृत मनोज मोदी उम्र 40 साल के शव को शव परीक्षण हेतु लाने पर उसने मृतक के शव परीक्षण में पाया कि रायगर मॉटिस दोनों हाथ व दोनों पैरों में मौजूद था, सीने के बांयी ओर 3X3 सेन्टीमीटर कंटूजन था, दांयी जांघ सामान्य से तीन गुना सूजी हुई थी, दांयी टिबिया एवं फिबुला टूटी हुई व घाव के बाहर की तरफ निकली हुई थी, दाहिने घुठने के नीचे 7X3 सेन्टीमीटर लेसेरेटेड घाव था, दाहिने कुल्हे के जोड़ पर असामान्य मूमेंट व दाहिने बोन कुल्हे के जोड़ के पास से हुई एवं उसके चारो ओर बहुत सारे खून का थक्का जमा हुआ था, बांयी चौथी एवं पांचवी पसली टूटी हुई थी, बांया फेफड़ा फट्टा

हुआ था व सीने में रक्त व खून के थक्के भरे हुये थे, दिल के चारों खाने खाली थी, खोपड़ी के अंदर खून के थक्के भरे हुए थे। मृतक की मृत्यु उसने उसके परीक्षण के 24 घण्टे के अन्दर की होना पाई थी। मृतक की मृत्यु का कारण शरीर के अंदरूनी अंगों को गहरी चोट लगने के कारण हुई थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(20) अभियोजन साक्षी अमर नैनवानी (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 11.09.2011 की है। वह बालाघाट से बैहर होते हुए परसवाड़ा लामता मोटरसायकिल से जा रहा था। मोटरसायकिल को मनोज मोदी चला रहा था। वह मोटरसायकिल के पीछे बैठा हुआ था परसवाड़ा से लामता की ओर करीब तीन किलोमीटर आगे बढ़े थे कि सामने से एक सफेद कलर की सूमों वाहन क्रमांक एम.पी. 50-डी.0343 तेजगति से आई और उन्हें टक्कर मारकर चली गई। गाड़ी को तिरेंद्र राणा चला रहा था। आरोपी ने सूमों गाड़ी को थोड़ी दूर जाकर धीमी किया था और पीछे देख रहा था। घटनास्थल पर मौजूद व्यक्तियों ने उसे बताया कि कन्हैया पटेल का नाती सूमों गाड़ी को चला रहा था। दुर्घटना में उसे दाहिने कंधे व पैर में चोट आयी थी और फ्रेक्चर हो गया था। मनोज मोदी को छाती व पैर में चोट लगी थी और फ्रेक्चर हो गया था। विमल जैन, पंकज जैन उन्हें एम्बुलेंस से बालाघाट अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मनोज मोदी की मृत्यु हो गई थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में यह स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक को नहीं देखा और न ही वह जानता है कि दुर्घटना के समय वाहन को कौन चला रहा था।

(21) अभियोजन साक्षी विमल जैन (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। उसे सूचना प्राप्त हुई कि मनोज मोदी का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर वह अस्पताल परसवाड़ा गया था जहां पर मनोज मोदी गंभीर हालत में था फिर उसे पता चला कि कुमनगांव के पास मनोज मोदी का एक्सीडेंट हुआ है। वह मनोज मोदी को ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक मनोज मोदी के साथ एक अन्य आहत को भी

चोटे आई थी। पुलिस ने पंकज जैन से क्षतिग्रस्त हालत में एक मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 बनाया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वह नहीं था। वाहन कौन चला रहा था, दुर्घटना किस वाहन से हुई उसे जानकारी नहीं है।

(22) अभियोजन साक्षी पंकज जैन (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढायी वर्ष पुरानी है। उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि मनोज मोदी का एक्सीडेंट हो गया है। वह मनोज मोदी को देखने शासकीय अस्पताल परसवाड़ा गया था। मनोज मोदी के साथ अमर नैनवानी को भी चोटे आई थी। ईलाज हेतु रिफ्र किए जाने पर बालाघाट ले जा रहे थे तो रास्ते में मनोज मोदी की मृत्यु हो गई थी। उसे आहत अमर नैनवानी ने चार पहिया वाहन से दुर्घटना होना बताया था। पुलिस ने उससे दुर्घटना की क्षतिग्रस्त हुई मोटरसायकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना के समय वाहन तिरेन्द्र राणा चला रहा था।

(23) अभियोजन साक्षी विनोद मोदी (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो ढायी वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को उसे मृतक मनोज मोदी ने फोन से सूचना दी थी कि उसका सूमों गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उसे पैर में चोट लगी है। मनोज मोदी को शासकीय अस्पताल परसवाड़ा से ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल रिफ्र किए थे कि रास्ते में मनोज मोदी की मृत्यु हो गई।

(24) अभियोजन साक्षी ज्ञानचंद (अ.सा. 5) एवं कन्हैया (अ.सा. 6) का कहना है कि उनके समक्ष पुलिस ने अमर नैनवानी से एक्सरे रिपोर्ट जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 बनाया था जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

(25) अभियोजन साक्षी वसीम खान (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को मनोज मोदी की दुर्घटना होने की सूचना फोन से फहीम ने उसके भाई को दी थी। वह आहतगण को लेने

घटनास्थल कुमनगांव पर गया था। जब वह गया तो मनोज मोदी और अमर नैनवानी कुमनगांव में रोड के साईड में पेड़ के नीचे थे उनके शरीर में चोट के निशान थे फिर आहतगण को ईलाज हेतु परसवाड़ा अस्पताल लेकर अया गया। आहतगण ने उसे चार पहिया वाहन से एक्सीडेंट होना बताया था।

(26) अभियोजन साक्षी फहीम खान (अ.सा. 8) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन-चार वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को उसे मनोज मोदी का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वसीम खान को घटनास्थल पर लेकर गया था। घटना के समय मनोज मोदी जीवित था और उन्हें बताया कि सूमों वाहन वाले ने टक्कर मार दी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि उसे बाद में पता लगा था कि सूमों वाहन क्रमांक एम.पी. 50-डी.0343 जिसे तिरेन्द्र राणा चला रहा था ने एक्सीडेंट किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था उसे जानकारी नहीं है और न ही उसने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के समय तिरेन्द्र राणा वाहन चला रहा था।

(27) अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह ग्राम अरंडिया से परसवाड़ा जा रहा था तभी कुमनगांव चौक पर एक मोटरसायकिल पर दो व्यक्ति बैठे थे जिन्हें मैक्स चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि दुर्घटना के समय वाहन को आरोपी तिरेन्द्र राणा चला रहा था।

(28) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता के.एल.पटले (अ.सा. 13) के कथनों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी अमर नैनवानी (अ.सा. 1), विमल जैन (अ.सा. 2), पंकज जैन (अ.सा. 3), विनोद मोदी (अ.सा. 4), वसीम खान (अ.सा. 7), फहीम खान (अ.सा. 8), राजकुमार (अ.सा. 9) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है।

अभियोजन द्वारा साक्षी पंकज जैन (अ.सा. 3), फहीम खान (अ.सा. 8), राजकुमार (अ.सा. 9) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी अमन नैनवानी (अ.सा. 1), विमल जैन (अ.सा. 2), फहीम खान (अ.सा. 8), राजकुमार (अ.सा. 9) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी जगदीश जामुलकर (अ.सा. 10) की मर्ग इंटीमेशन कार्यवाही एवं डॉक्टर विजय गांधी (अ.सा. 11) तथा डॉक्टर ए.सहारे (अ.सा. 12) की मेडिकल परीक्षण एवं शव परीक्षण रिपोर्ट से व साक्षियों के कथनों से दिनांक 11.09.2011 को दुर्घटना में अमर नैनवानी को अस्थिभंग होना एवं मनोज मोदी की मृत्यु कारित होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक 11.09.2011 को शाम के 07:00 बजे परसवाड़ा लामता रोड पर थानान्तर्गत परसवाड़ा में लोकमार्ग पर वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अमर नैनवानी को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा मनोज मोदी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से की गई है। विलम्ब का अभियोजन ने कारण भी नहीं बताया है।

(29) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी तिरेन्द्र राणा ने दिनांक-11.09.2011 को शाम के 07:00 बजे परसवाड़ा लामता रोड पर थानान्तर्गत परसवाड़ा में लोकमार्ग पर वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अमर नैनवानी को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा मनोज मोदी की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(30) परिणाम स्वरूप आरोपी तिरेन्द्र राणा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा

279, 338, 304-ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(31) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा सूमों क्रमांक एम.पी.50-डी.0343 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)